उ० प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स A-1/4, लखनपुर, पोस्ट बाक्स नं. 1050 कानपुर – 208024

दूरभाष : 2582851-53(PBX) वेबसाइट : www.upsidc.com ई.मेल : md@upsidc.com

संदर्भ सं0

/ यूपीसीडा /

दिनांक

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के आबंटियों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं / कार्यों के त्विरत निष्पादन हेतु कितपय अधिकार प्रतिनिधायनित करते हुए कार्यालय आदेश सं० 2377—81 / एसआईडीसी आईए / दिनांक 01.12.2016 एवं कार्यालय आदेश सं० 419—422 / एसआईडीसी / आईए दिनांक 03.01.2017 तथा औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग के कार्यों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी पूर्व में निर्गत समस्त कार्यालय आदेशों को अवक्रमित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग के कार्यों का प्रतिनिधायन कार्यिहत में निम्नवत् संशोधित किया जाता है जिससे कि सभी प्रकृति के भूखण्डों से सम्बन्धित आबंटियों के विभिन्न कार्यों सम्बन्धी अनुरोध पारदर्शिता के साथ शीघ्र निस्तारित किए जा सके:—

अ. क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी को प्रदत्त अधिकार

क्र	कार्य की प्रकृति	
सं	0	प्रतिनिधायन / अधिकार
1.	सभी प्रकृति के भूखण्ड जिनमें इकाई स्थापना हेतु नियमानुसार परियोजना कियान्वयन हेतु समय उपलब्ध / विस्तारित है, का नियमानुसार पट्टा—विलेख निष्पादन, कब्जा हस्तांतरण, हस्तान्तरण / आवंटन संबंधी कार्य आरक्षण धनराशि की देय तिथि से 60 दिनों तक तीव्र गामी क्षेत्रों में तथा 90 दिनों तक मन्थर गामी क्षेत्रों में क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में)	पूर्ण अधिकार
	पट्टाविलेख को आबंटी की अभिरक्षा में / वित्तीय संस्था के पक्ष में एकल / संयुक्त / बहुपक्षीय रहन / पारी पासू प्रभार्य, आबंटित क्षेत्रफल में भूखण्ड के कब्जे तक ज्ञात हुई आबंटित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत (अधिकतम 300 वर्गमी0) के विचलन का नियमानुसार नियमितीकरण, औद्योगिक परियोजना हेतु आवंटित / हस्तान्तरित भूखण्डों पर अनुमन्य उपयोगों के अन्तर्गत उत्पाद परिवर्तन / अतिरिक्त उत्पाद / विस्तार हेतु इकाई की स्थापना से सम्बन्धित।	
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का समर्पण स्वीकार करना एवं नियमानुसार धनराशि वापस करना, जमा धनराशि में रू० 100/— तक की कमी होने पर आवंटी को डिफाल्टर वर्ग से मुक्त कर दण्ड ब्याज आदि भारित न किए जाने से संबन्धित।	पूर्ण अधिकार
3.	औद्योगिक परियोजनाओं हेतु आवंटित भूखण्डों का पूर्ण शुल्क एवं अन्य देयों के भुगतान पर औद्योगिक भूखण्ड जिनका आवंटन / कब्जा 5 वर्ष से पूर्व का है, में अन्तिम रूप से उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्रस्तर—7 (यथासंशोधित) प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्तीकरण नोटिस निर्गत किए जाने के साथ पूर्व अनुपयोगित अवधि सहित नोटिस की तिथि से अधिकतम 01 वर्ष का समय विस्तारण।	पूर्ण अधिकार

4	. उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भागान र रेक्टर र	
	. उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 5प्रतिशत से अधिक तथा 30प्रतिशत तक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण नियमानुसार अधिकतम पूर्णलेवी एवं अन्य देयों के भुगतान सहित ।	2 एकड़ क्षेत्रफल तक
5	एकल आवासीय भूखण्डों का हस्तांतरण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवंटी के उपविभाजन मानचित्र में विनियमनों में निर्धारित प्रकिया पूर्ण करते हुए औद्योगिक उपयोग हेतु सृजित उप-विभाजित भूखण्डों पर आवंटी से विपणन हेतु नियमानुसार समय-विस्तारण, अन्य शुल्कों तथा हस्तान्तरण लेवी सहित हस्तान्तरण।	पूर्ण अधिकार 01एकड क्षेत्रफल तक पूर्ण अधिकार
6.	यूपीएफसी / पिकप / अन्य नीलामी के माध्यम से विक्य-पत्र / निबंधित विक्य-विलेख पर क्रय किये गये अनुपयोगित भूखण्डों का क्रेता के पक्ष में नामान्तरण (अनुपयोगित भूखण्डों पर नियमानुसार पूर्ण लेवी / नामान्तरण शुल्क एवं अन्य देयों के भुगतान सहित)	
7.	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त औद्योगिक एवं एकल आवासीय भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में (अविवादित एवं दूसरे पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत न किया गया हो) नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, आबंटी का नाम परिवर्तन(बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के)	द्वितीय/तृतीय पक्ष द्वारा दावा प्रस्तुत न किए गए प्रकरणों में
8.	देयों का भुगतान न करने की दशा में औद्योगिक भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण।	
9.	अनुपयोगित एवं देयों का भुगतान न करने पर एकल आवासीय भूखण्डों के आवंटनों का निरस्तीकरण।	
10.	औद्योगिक भूखण्डों के निरस्त आवंटनों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमो के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क एवं समस्त देयों के भुगतान पर)	500वर्गमीटर तक पूर्ण अधिकार
	एकल आवासीय भूखण्डों के निरस्त आवंटनों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमों के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क एवं समस्त देयों के भुगतान पर)	पूर्ण अधिकार
	सभी प्रकृति के भूखण्डों में प्रीमियम एवं ब्याज की देयताओं का रि-शिड्यूलमेंट	500वर्गमीटर क्षेत्रफल अधिकतम देयता रू० 50.00लाख तक पूर्ण अधिकार
(;	नवन मानचित्र की स्वीकृति (1) औद्योगिक भूखण्डों के 25 एकड़ क्षेत्रफल तक (2) एकल आवासीय भूखण्डों में (3) 250 वर्गमी0 क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्ड (4) बिन्दु सं0 1 से 3 के अतिरिक्त अन्य समस्त भवन मानचित्र स्वीकृति (1) म्बन्धी प्रकरण ए०टी०पी० अनुभाग को अग्रसारित किया जाना।	पूर्ण अधिकार

14	एकल आवासीय भूखण्डों में कब्जा हस्तान्तरण सम्भव न होने पर समतुल्य पूर्ण अधिकार	
	न परिष्या प्राथिपर्यं । प्राथिपर्यं । प्राथिस स्रोते एत	
	परिवर्तन	No. of Street, or other Persons and Other Person

ब. प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र को प्रतिनिधायित अधिकार

화0	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायित अधिकार
संo 1.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में आबंटन / हस्तांतरण की तिथि से 60 दिनों पश्चात तीव्र गति के औद्योगिक क्षेत्रों में तथा 90 दिनों पश्चात	पूर्ण अधिकार
	मन्धर गति के क्षेत्रों में 12 माह तक विलम्ब से प्राप्त आरक्षण धनराशि / हस्तांतरण शुल्क को ब्याज सहित स्वीकार करना (औद्योगिक क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की दशा में)	
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में समय विस्तारण जिनपर समय विस्तारण शुल्क की देयता रू० 50लाख से कम है।	पूर्ण अधिकार
3.	कियाशील (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) एवं उत्पादनरत (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं 2 वर्ष निरन्तर उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण	15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
	उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 5प्रतिशत से अधिक तथा 30प्रतिशत तक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण नियमानुसार पूर्ण अधिकतम लेवी एवं अन्य देयों के भुगतान सहित ।	2 से 15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
	औद्योगिक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों का हस्तान्तरण।	02 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
4	अनुपयोगित एवं देयों के पूर्ण भुगतान किए गए औद्योगिक भूखण्डों का निरस्तीकरण ।	5 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
5	देयों का भुगतान न करने की दशा में औद्योगिक भूखण्डों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण ।	02 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
6	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवंटी के उपविभाजन मानचित्र में विनियमनों में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए औद्योगिक उपयोग हेतु सृजित उप—विभाजित भूखण्डों पर आवंटी से विपणन हेतु नियमानुसार समय—विस्तारण एवं अन्य शुल्कों तथा हस्तान्तरण लेवी सहित हस्तान्तरण।	अधिकार "
7	यूपीएफसी / पिकप / अन्य नीलामी के माध्यम से विकय-पत्र / निबंधित विकय-विलेख पर क्रय किये गये उपयोगित भूखण्डों का क्रेता के पक्ष में नामान्तरण (उपयोगित भूखण्डों पर नियमानुसार पूर्ण लेवी / नामान्तरण शुल्क एवं अन्य देयों के भुगतान सहित)	



	8	आबंटी की महा के जाएक क	
		आबंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तातरण, बिना बहुमून अंगों में प्रिकृति के	विवादित एवं द्वितीय / तृतीय पक्ष
		हस्तांतरण, बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के प्रकरणों में आबंटी का	टाजा उत्पाद (श्रीवर्ग पक्ष
		नाम परिवर्तन	प्रकरणों में 05 एकड श्रेत्राच्य उन
			म्थिण्डा में पूर्ण अधिकार।
	9	सभी प्रकृति के भूखण्डों में आबंटी के पुर्नगठन / संविधान परिवर्तन	
		को मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी।	05 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
ŀ	10	अनुपरोगित एवं नेपों ने नर्प	
		अनुपयोगित एवं देयों के पूर्ण भुगतान किए गए सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण ।	02—15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
-	11	31/21/17 07	
	''	औद्योगिक भूखण्डों के निरस्त आबंटनों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित	500 वर्गमीटर से 05 एकड़ तक
		नियमो के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क एवं समस्त देयों के भुगतान	पूर्ण अधिकार
	12.	सभी प्रकृति के भूखण्डों का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमो के	5 एकड़ तक औद्योगिक भूखण्डों
		अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क की देयता पर)	में पूर्ण अधिकार
-	13.	ज्या एक रे अन्य से अ	-
	13.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में प्रीमियम एवं ब्याज की देयताओं का रि–शिड्यूलमेंट	
		१र-१राज्यूलम्ट	तक में अधिकतम देयता रू० 50.
			००लाख तक के भूखण्डों में पूर्ण
\vdash	14.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में किरायेदारी	अधिकार ।
	14.	ता अपृति पर मूखण्डा म ।करायदारा	15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार
L			
	15.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जा हस्तांतरण सम्भव न होने के	०५ एकड़ क्षेत्रफल तक पूर्ण
		कारण मूल भूखण्ड के समतुल्य अथवा २०प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के	अधिकार
		भूखण्ड परिवर्तन	

स. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रतिनिधायित अधिकार

क्र0	कार्य की प्रकृति	प्रतिनिधायित अधिकार
सं0		
1.	सभी प्रकृति के आबंटन / हस्तांतरण की तिथि से 12 माह के पश्चात्	पूर्ण अधिकार
	विलम्ब से प्राप्त आरक्षण धनराशि / हस्तांतरण शुल्क को ब्याज	
	सहित स्वीकार करना (औद्योगिक क्षेत्र की प्रीमियम दर न बढ़ने की	
e 	दशा में)	
	सभी प्रकृति के आबंटन / हस्तांतरण की तिथि के उपरान्त विलम्ब से	
	प्राप्त आरक्षण धनराशि / हस्तांतरण शुल्क को औद्योगिक क्षेत्र की	
	प्रीमियम दर बढ़ने की दशा में आपरेटिंग मैनुअल 2011 के प्रस्तर 2.	
	11 के अनुसार निस्तारण के सम्बन्ध में संस्तुति किए जाने संबंधित।	
2.	सभी प्रकृति के भूखण्डों में समय विस्तारण जिनपर समय विस्तारण	पूर्ण अधिकार
	सभी प्रकृति के भूखण्डों में समय विस्तारण जिनपर समय विस्तारण शुल्क की देयता रू० 50.00 लाख से अधिक है।	2

3.	कियाशील (आस्कादित क्षेत्राच्य रूप	
	कियाशील (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) एवं उत्पादनरत (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 30प्रतिशत अथवा अधिक होने एवं 2 वर्ष निरन्तर उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण	5 से 15 एकड़ तक पूर्ण अधिकार 15एकड से अधिक भूखण्डों के प्रकरणों को पालिसी सेल की संस्तुति पर पूर्ण अधिकार
	उपयोगित (आच्छादित क्षेत्रफल कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 5प्रतिशत से अधिक तथा 30प्रतिशत तक होने एवं उत्पादन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर) औद्योगिक भूखण्डों का हस्तांतरण नियमानुसार पूर्ण लेवी एवं अन्य देयों के भुगतान सहित ।	5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों का पूर्ण अधिकार
	औद्योगिक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों का हस्तान्तरण।	02 एकड से अधिक के प्रकरणों पर पालिसी सेल की संस्तुति पर पूर्ण अधिकार
4	अनुपयोगित एवं देयों के पूर्ण भुगतान किए गए औद्योगिक भूखण्डों का निरस्तीकरण ।	5 एकड से अधिक पूर्ण अधिकार
5	देयों का भुगतान न करने की दशा में औद्योगिक भूखण्डों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटनों का निरस्तीकरण।	02 एकड़ से अधिक पूर्ण अधिकार
6	आबंटी की मृत्यु के उपरान्त सभी प्रकृति के भूखण्डों का विधिक वारिसानों के पक्ष में नियमितीकरण, पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरण, बिना बहुमत अंशों में परिवर्तन के प्रकरणों में आबंटी का नाम परिवर्तन	द्वारा दावा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में पूर्ण
7	सभी प्रकृति के भूखण्डों में आवंटी के पुर्नगठन/संविधान परिवर्तन को मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी।	05 एकड से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर पूर्ण अधिकार
8	अनुपयोगित भूखण्डों के आबंटनों एवं देयों के भुगतान न करने पर भूखण्डों का निरस्तीकरण	15 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकृति के भूखण्डों में पूर्ण अधिकार
9	सभी प्रकृति के भूखण्डों के आबंटन का पुर्नजीवीकरण (प्रचलित नियमों के अनुसार पुर्नजीवीकरण शुल्क की देयता पर)	5 एकड़ से 15 एकड़ तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर पूर्ण अधिकार
10	सभी प्रकृति के भूखण्डों में प्रीमियम एवं ब्याज की देयताओं का रि-शिड्यूलमेंट	15 एकड़ क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में देयता रू० 10.00 करोड़ से अधिक तथा 5 एकड़ क्षेत्रफल से अधिक के भूखण्डों का पूर्ण अधिकार
11	सभी प्रकृति के भूखण्डों में किरायेदारी	15 एकड़ से अधिक पूर्ण अधिकार
12	सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जे तक ज्ञात आबंटित क्षेत्रफल के 20 प्रतिशत (अधिकतम 500 वर्गमी0) से अधिक बृद्धि का नियमितीकरण	पालिसी सेल की संस्तुति पर पूर्ण अधिकार

13 सभी प्रकृति के भूखण्डों में कब्जा हस्तांतरण सम्भव न होने के 05 से 15 एकड़ क्षेत्रफल तक के कारण मूल भूखण्ड के समतुल्य अथवा 20प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर पूर्ण अधिकार

"सभी प्रकृति के आबंटनों" से तात्पर्य विभिन्न भू—उपयोगों यथा औद्योगिक, आवासीय, व्यवसायिक, ग्रुप आवासीय, संस्थागत तथा अवस्थापना सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों के नियमानुसार किये गये आबंटनों से है। क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयाविध में सुनिष्टिचत करेंगे तथा उनके अधिकार क्षेत्र में ऑच्छादित न होने वाले अन्य प्रकरणों को मुख्यालय संदर्भित करेंगे जिससे कि उनपर निर्धारित अविध में निर्णय लिया जा सके।

उपरोक्त प्रतिनिधायनित अधिकारों में आच्छादित एवं अनाच्छादित ऐसे प्रकरण जो कि उ०प्र० शासन द्वारा लागू की गई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति—2017 में परिभाषित मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा परियोजनाओं से सम्बन्धित हों, के निस्तारण के समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी अवशेष प्रकरणों के अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित रहेंगे।

सभी पत्राविलयाँ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को निर्णयार्थ प्रस्तुत की जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग द्वारा क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों के स्तर पर निस्तारित प्रकरणों के अभिलेख यथाआवश्यक प्राप्त करते हुए अनुश्रवण किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(मयूर माहेश्वरी) मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 / यूपीसीडा/IA) Dalegation of Power

दिनांक 01/64/202/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
- 2. समस्त प्रभारी, औ०क्षे० अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
- 3. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
- 4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा
- 5. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, औ० क्षे० अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
- 6. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।

7. गार्ड फाईल

(मयूर माहेश्वरी) मुख्य कार्यपालक अधिकारी